रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238149
CG-DL-E-17082022-238149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3694] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944
No. 3694] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

का.आ. 3868(अ).—यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, तिरुनलवेली जिले के गंगाइकोण्डान गाँव में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग उत्पाद के साथ सभी उद्देश्यों के लिए टायर एवं ट्यूब्स का निर्माण एवं यातायात उद्योग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ.1156(अ) दिनांक 15 मई, 2008 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 103.238 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 51.3069 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत:, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 13032/एमआईई.2/2021-2 दिनांक 11 मई, 2022 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज़् विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 51.3069 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, डेवलपर अर्थातः मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड के अनुसार उक्त अनधिसूचित क्षेत्र का उपयोग केवल औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाएगा और इसे डीटीए औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, तिरुनलवेली जिले के गंगाइकोण्डान गाँव में विशेष आर्थिक जोन में से 51.3069 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 51.9311 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	तिरुनलवेली, गंगाइकोण्डान - 1	1724/भाग	26.7199
2.		1851/भाग	24.5870
कुल			51.3069
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			51.9311

[फा. सं. एफ.1/256/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2022

S.O. 3868(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Transport Engineering Goods including manufacture of Tyres and Tubes for all purposes and for transport industry sector at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited Industrial Growth Centre, Gangaikondan Village, Tirunelveli District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 103.238 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 1156(E) dated 15th May, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 51.3069 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 13032/MIE.2/2021-2, dated 11th May, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 51.3069 hectares of the Special Economic Zone. Further, as per the Developer i.e., M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, after de-notification of the said area, the land will be utilized only for industrial use and it will be allotted to DTA industrial units;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 51.3069 hectares at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited Industrial Growth Centre, Gangaikondan Village, Tirunelveli District, in the State of Tamil Nadu, thereby making resultant notified area as 51.9311 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Tirunelveli, Gangaikondan - 1	1724/pt	26.7199
2.		1851/pt	24.5870
Total			51.3069
Grand total area of SEZ after above deletion			51.9311

[F. No. F.1 /256/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.17 22:21:28 +05'30'